



तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 01/2022	न र व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
17.8.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1(एक) चेतन कुमार अग्रवाल पुत्र दिनेश जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- सदर बाजार, आबूरोड़, जिला- सिरौही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, चेतन ट्रेडिंग कम्पनी, बडी सब्जी मण्डी, आबूरोड़, जिला- सिरौही के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-2/1 एवं 2/2 (पटेल जिमिश कुमार जयेश कुमार एवं पटेल हार्दिक कुमार जयेश कुमार, भागीदार एवं खाद्य कारोबारकर्ता, निर्माता फर्म बंशीधर इण्डस्ट्रीज, धोलका रोड, बावला, जिला- अहमदाबाद) अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल की फर्म चेतन ट्रेडिंग कम्पनी, बडी सब्जी मण्डी, आबूरोड़, जिला- सिरौही से दिनांक 23.12.2020 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किया गया खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1342 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1102/Act/2020/77 दिनांक 07.1.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-2/1 एवं 2/2 (पटेल जिमिश कुमार जयेश कुमार एवं पटेल हार्दिक कुमार जयेश कुमार, भागीदार एवं खाद्य कारोबारकर्ता, निर्माता फर्म बंशीधर इण्डस्ट्रीज, धोलका रोड, बावला, जिला- अहमदाबाद) ने दिनांक 23.2.2022 को उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जुर्म/गलती को स्वीकार किया।</p> <p>प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 29.7.2022 को आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी संख्या 2/1 व 2/2 उपस्थित नहीं हुये। प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल के अधिवक्ता की दिनांक 29.7.2022 को बहस सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) का नमूना लेने के संबंध में न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कार्यवाही प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल के सामने निष्पादित नहीं की गई है एवं न ही ऐसी कोई कार्यवाही प्रतिवादी के संस्थान पर निष्पादित की गई। नमूने को अलग अलग शीशीयों में लेकर सीलचेपा करने की कोई कार्यवाही प्रतिवादी के समक्ष</p> <p>.....लगाव</p>	




जिला रजिस्ट्रार
जान
2022




तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 01/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	<p>नहीं की गई है। प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल को आवेदक द्वारा Nabl Accredited Lab से जांच कराने के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी एवं न ही प्रतिवादी ने ऐसी जांच कराने से मना किया। आवेदक द्वारा प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल के समक्ष नमूना लेने की कार्यवाही सम्पादित नहीं करने से नमूना लेने की पूरी कार्यवाही संदेहास्पद है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित नहीं की है, जिससे प्रतिवादी नमूने की रेफरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित रहा है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही दोषपूर्ण व अवैध है। खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) सम्पूर्ण मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है तथा सभी मानकों एवं नियमों के प्रावधान अनुसार उसकी जांच आदि करके ही निर्माता कम्पनी द्वारा बेचान किया जाता है। कम्पनी द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) का निर्माण नहीं किया गया है एवं न ही मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) का बेचान किया गया है। प्रतिवादी ने खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) के पैकिंग लेबल से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की है। प्रतिवादी ने खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) को पैकिंग अवस्था में मैसर्स बंशीधर इण्डस्ट्रीज, धोलका रोड, बावला, जिला-अहमदाबाद से क्रय किये थे जिसका बिल आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया था। यदि उक्त खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) मिथ्याछाप पाया गया है तो भी उसके लिये निर्माता फर्म बंशीधर इण्डस्ट्रीज जिम्मेदार है, क्योंकि निर्माता फर्म ने ही चावल (जलधारा ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय किया है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।</p> <p>हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु दिनांक 23.12.2020 को समय 3.00 पी.एम. पर फर्म चेतन ट्रेडिंग कम्पनी, बडी सब्जी मण्डी, आबूरोड़, जिला- सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से चेतन कुमार अग्रवाल पुत्र दिनेश जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- सदर बाजार, आबूरोड़, जिला- सिरोही उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म चेतन ट्रेडिंग कम्पनी, बडी सब्जी मण्डी, आबूरोड़, जिला- सिरोही के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल को गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बाँय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,लगातार</p>	


 ब.वि. निरा ब.वि.सि.स.
 सिरोही-307001.

<p>तारिख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 01/2022</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम कीतामिल में जारी हुए</p>
	<p>सिरोही के समक्ष प्रपत्र प्रपत्र 5ए में भरकर दी व प्रपत्र 5ए में रसीद प्राप्त की। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र 5ए पर प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल, उक्त गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म चेतन ट्रेडिंग कम्पनी की दुकान के अन्दर विक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) के 10 पैक्ड बैग (प्रत्येक 25 किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) के एक बैग को खोलकर खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) को हिलामिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये हुए खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) में से 4 (चार) किलोग्राम चावल (जलधारा ब्राण्ड) को एक साफ, सूखे एवं खाली भिगोनें में जांच हेतु खरीदा एवं खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 140/- (अक्षरे रुपये एक सौ चालीस मात्र) प्रतिवादी चेतन अग्रवाल को अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरियल क्रमांक S-1342, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी एवं गवाह को चार साफ, सूखी, खाली प्लास्टिक के जार दिखाकर खरीदशुदा खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) को चार साफ, सूखी, खाली जारों में बराबर-बराबर मात्रा में भरकर चारों जारों को ढक्कनों से एयरटाईट बन्द किया तथा खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) के मूल लेबल को एक नमूना जार के साथ लगाकर टेप से चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रत्येक नमूना जार पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लीप S-1342 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका रिपोर्ट तैयार की जिसे प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल ने पढ सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूनें को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल, गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुचकर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) का एक नमूना भाग व फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा दिनांक 24.12.2020 को श्रीमती भावना देवी, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुरलगाता</p>	

a
सिरोही-207001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 01/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	<p>को जांच हेतु जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड)के शेष सीलबन्द तीन नमूना भाग व फार्म नं. 6 का सीलबन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 23.12.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1102/Act/2020/77 दिनांक 07.1.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1342 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र संख्या:एफएसएसए/2021/322-25 दिनांक 25.1.2021 के द्वारा प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल तथा निर्माता फर्म बंशीधर इण्डस्ट्रीज को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाकर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में 30 दिन के भीतर अपील आवेदन प्रारूप-8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन पुनः जांच हेतु प्रतिवादीगण ने आवेदन नहीं किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल की फर्म चेतन ट्रेडिंग कम्पनी, बडी सब्जी मण्डी, आबूरोड़ द्वारा खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) के 25-25 किलोग्राम के पैकड बैगों को फर्म बंशीधर इण्डस्ट्रीज, धोलका रोड, बावला, जिला- अहमदाबाद से क्रय किये गये थे, जो खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए हैं, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री के विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल एवं निर्माता फर्म बंशीधर इण्डस्ट्रीज, धोलका रोड, बावला, जिला- अहमदाबाद ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चावल (जलधारा ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल पुत्र दिनेश जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- सदर बाजार, आबूरोड़, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म चेतन ट्रेडिंग कम्पनी, बडी सब्जी मण्डी, आबूरोड़, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चावललगातार</p>	

अ. वि. सि. अधिकारी
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 01/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	<p>(जलधारा ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म बंशीधर इण्डस्ट्रीज, धोलका रोड, बावला, जिला- अहमदाबाद पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल एवं निर्माता फर्म बंशीधर इण्डस्ट्रीज के भागीदार पटेल जिमिश कुमार जयेश कुमार एवं पटेल हार्दिक कुमार जयेश कुमार को आदेशित किया जाता है कि उन पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वारते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 23.9.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(क.आर.खौड़) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही</p>	